867/22 **<u>प्रकरण नेशनल लोक अदालत में पीठ के समक्ष प्रस्तुत।</u>**

09.03.2024 राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।

अभियुक्त/गण सहित श्री पी.सी. जैन अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी स्तर पर फरियादी/आहतगण छोटू, मनोज व मीरा ने उपस्थित होकर लेखीय आवेदन अंतर्गत धारा 20(1), 320(2) द.प्र.सं. का पेश कर स्वेच्छापूर्वक बिना किसी, डर, भय, दबाव के स्वयं की ओर से अपराध का समन किये जाने का निवेदन किया। फरियादी/आहतगण की पहचान अधिवक्ता श्री सतीश कुलश्रेष्ठ ने की तथा उनका पहचान पत्र/आधार कार्ड भी प्रस्तुत किया एवं आरोपी की पहचान अधिवक्ता श्री पी.सी. जैन द्वारा की गयी।

फरियादी/आहतगण की ओर से आवेदन में बताया गया है कि वह आरोपी से राजीनामा करना चाहते हैं। अतः उन्हें राजीनामा किए जाने की अनुमति प्रदान की जावे।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध भादसं. की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग–2 भादवि. का आरोप होकर उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना व्यक्त कर प्रकरण की कार्यवाही समाप्त किये जाने का निवेदन किया। आरोपीगण पर आरोपित अपराध भादसं. की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग–2 भादवि. एवं ***दण्डविधि(म.प्र.संशोधन) अधिनियम, 2019 दिनांक 7 जुलाई, 2022 के संशोधन द्वारा दप्रसं की धारा 320 की अनुसूची में संशोधन किया जाकर धारा 294, को राजीनामा योग्य बनाया गया।***

फरियादी/आहतगण द्वारा उक्त समझौता स्वेच्छापूर्वक होने, लोकहित के विरूद्ध न होने, विधि के विपरीत न होने आदि की संतुष्टि न्यायालय पूर्व में कर चुकी है। अतः राजीनामा आवेदन उपरांत बाद तस्दीक स्वीकार किया जाता है और राजीनामा के आलोक में आरोपीगण पर आरोपित भादसं. की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग–2 भादवि. शमनीय होने से तथा राजीनामा होने से उक्त आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

आरोपीगण के जमानत मुचलके भारहीन हों।

प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल कुछ नहीं है।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज हो।

आरोपीगण का धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया गया।

अन्य कोई कार्यवाही शेष न होने से प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

पीठ सदस्य
नबाव सिंह सिकरवार
अधिवक्ता

संध्या गर्ग
पीठासीन अधिकारी
खण्डपीठ क्र.25 जौरा
जिला मुरैना म.प्र.

SANDHYA GARG

Digitally signed by SANDHYA GARG
Date: 2024.03.09 06:55:15 -0500